

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082025-265229 CG-DL-W-06082025-265229

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2025, शनिवार/ श्रावण 5—श्रावण 11, 1947 No. 26] NEW DELHI, JULY 27— AUGUST 2, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 5— SHRAVANA 11, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

4873 GI/2025 (687)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)		(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	consisting of:	Consultation Union Public	with
1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	-Chairman;	Commission	is not
2. Head of Department (Concerned), Safdarjung Hospital	- Member;	necessary.	
3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services	-Member.		

[F. No. A.11018/02/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

### नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.िन. 115.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई निरीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई निरीक्षक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए

# उपबंध करना अपेक्षित है ।

# अनुसूची

पद का	पद की	वर्गीकरण।	वेतन	चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-
नाम।	संख्या।		मैद्रिक्स	या	सीमा।
			में स्तर ।	अचयन	
				पद।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफाई	07*	साधारण	वेतन	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।
सफाइ निरीक्षक	07* (2025)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100 रुपये)।	लागू नहा होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।  [केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।]  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सफाई निरीक्षक या स्वास्थ्य निरीक्षक या सफाई स्वास्थ्य सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा।  टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।  टिप्पण:  परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह	अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी		प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना	_

या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों	अनिवार्य होगा ।	अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति
के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों		के आधार पर भरा जा
और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में		सकेगा; और जिनके पास
तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी		स्तंभ (7) के अधीन सीधी
प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके		भर्ती किए जाने वाले
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित		व्यक्तियों के लिए विहित
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के		अहरणताएं और अनुभव हैं।
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए ), जिसमें निम्नलिखित होंगे :  1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;  2. विभागाध्यक्ष (संबंधित), सफदरजंग अस्पताल	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
	- सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/02/2023-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

### New Delhi, the 10th July, 2025

- **G.S.R.** 115.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, Sanitary Inspector, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Sanitary Inspector (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of post, classification and level in pay-matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sanitary Inspector	07* (2025)	General Central Service, Group 'C',	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay	Not applicable.
	*Subject to variation dependent on workload.	Non-Gazetted, Non-Ministerial.	matrix.	

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
(Relaxble for departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central government).	<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	

authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available	
to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation /
(9)	(10)	(11)
Two years.	Direct Recruitment.	Not applicable.
Note: There shall be an	Note: The vacancies caused by the incumbent being	
mandatory training of at	away on deputation or long illness or study leave or	
least two weeks	under other circumstances for a duration of one year or	
duration for successful	more may be filled on deputation basis from officers of	
completion of the	the Central Government holding analogous posts on	
probation as specified	regular basis in the parent cadre or department; and	
by the Central	possessing the qualifications and experience prescribed	
Government.	for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering consisting of:	confirmation)	Consultation with Union Public Service Commission is not
<ol> <li>Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital</li> <li>Head of Department (Concerned), Safdarjung Hospital</li> <li>Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services</li> </ol>	-Chairman; -Member; -Member.	necessary.

[F. No. A.11018/02/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

## नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 116.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में परामर्शदाता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, परामर्शदाता (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।